



2026:AHC:14751

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2073 वर्ष 2026

वसीम एवं अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : कृष्ण कांत दुबे, संतोष कुमार दुबे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, सिकंदर खान

न्यायालय संख्या - 66

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची का पुनरीक्षण किया गया।
2. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकांत दुबे, श्री एस.एम. फराज काज़मी, जो श्री सिकंदर खान, अधिवक्ता की ओर से उपस्थित हुए, तथा राज्य की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री जे.के. चौरसिया को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदकगण द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 760 वर्ष 2025, धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 351(2), 103(3), 109(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलंदशहर में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत की प्रार्थना की गई है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदकगण सहित अठारह अन्य नामजद अभियुक्तों द्वारा सूचनाकर्ता तथा पाँच अन्य व्यक्तियों के साथ मारपीट कर उन्हें चोट पहुँचाने का आरोप है, जिनमें से दिलशान नामक व्यक्ति को लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।
5. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदकगण पूर्णतः निर्दोष हैं तथा उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग छह घंटे की देरी से दर्ज की गई है तथा उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
6. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आरोप प्रथम दृष्टया असत्य हैं, क्योंकि उन्नीस नामजद अभियुक्तों में से केवल बारह अभियुक्तों के विरुद्ध ही आरोप पत्र दाखिल की गई है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य एवं सामूहिक आरोप लगाए गए हैं। आवेदक द्वारा डंडा रखने की बात कही गई है। यह सत्य है कि घायलों को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चौरयुक्त घाव प्राप्त हुए हैं, किन्तु उनके बयानों में किसी भी अभियुक्त को कोई विशेष भूमिका नहीं दी गई है।

7. आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण दिनांक 23.09.2025 से जेल में निरुद्ध हैं तथा विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यदि आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
8. विद्वान राज्य विधि अधिकारी सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया तथा तर्क दिया कि आवेदकगण ने घायल रज्जाक की सी.टी. स्कैन रिपोर्ट संलग्न नहीं की है। मामला गंभीर प्रकृति का है, क्योंकि पाँच व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई हैं तथा उनमें से एक की मृत्यु हो गई है, अतः आवेदकगण जमानत के अधिकारी नहीं हैं।
9. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य एवं सामूहिक आरोप हैं तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय की राय है कि आवेदकगण जमानत पाने के अधिकारी हैं। अतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
10. आदेश दिया जाता है कि आवेदकगण वसीम एवं शाहरुख, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त हैं, को व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार समान राशि में प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा।

निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत दी जाती है—

- (i) आवेदकगण विचारण के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- (ii) आवेदकगण अभियोजन गवाहों को प्रभावित/धमकाएंगे नहीं।
- (iii) आवेदकगण नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

11. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां विचारण न्यायालय को गवाहों के साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने में किसी प्रकार बाधित नहीं करेंगी।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 21 जनवरी, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।